न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–250/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/250)

1. कैलाशचंद पुत्र श्री शिवनारायण जाति कुमावत निवासी पी0जी फाईल्स के सामने, सन्देडा रोड, ब्यावर, जिला अजमेर।
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री माधुलाल जाति सोनी निवासी रंगपुरा चौराहा, मालियों की हथाई गली, ब्यावर, जिला अजमेर।
3. केसरीमल पुत्र श्री शंकरलाल सोनी जाति सोनी निवासी–गांव बडु, तहसील–परबतसर जिला नागौर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती बरजी पत्नि स्व0 श्री मंगला
2. श्री शंकर पुत्र स्व0 श्री मंगला
3. श्री श्रवण पुत्र स्व0 श्री मंगला
4. श्री बीरम पुत्र स्व0 श्री मंगला
5. सीता पुत्री स्व0 श्री मंगला
6. गीता पुत्री स्व0 श्री मंगला
   सभी जाति रावत निवासी–ग्राम–गोपाल सागर, तहसील–मसूदा जिला–अजमेर, राजस्थान।
7. श्री महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नारायण जी रावत
8. श्री रामदयाल पुत्र स्व0 श्री नारायण जी रावत
9. श्रीमती मीरा पत्नि स्व0 श्री नारायण जी रावत
   निवासी–ग्राम–गोपाल सागर, तहसील–मसूदा जिला–अजमेर, राजस्थान।
10. श्री घीसा सिंह पुत्र श्री बालू सिंह रावत निवासी ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
11. श्रीमती शांति पत्नि स्व0 श्री राजू जी रावत
12. श्रीमती जमना पुत्री स्व0 श्री राजू जी रावत
13. श्री भंवरू पुत्र स्व0 श्री रूपा जी रावत
    उपरोक्त तीनों जाति रावत निवासी ग्राम–गोपाल सागर, ग्राम–पंचायत–कानाखेडा तहसील–मसूदा जिला अजमेर।
14. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर मुकाम ब्यावर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.07.2022 राजस्व वाद संख्या 14/2016

उपस्थितः–

1. श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 13 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी

CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा— 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाके ग्राम गोपाल सागर तहसील ब्यावर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 2280, 2281, 2286, 2291, 2287, 2288 के बाबत विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 14.7.2021 को पारित किया गया जिसमें भूमि की यथास्थिति आगे बैचान नहीं किए जाने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है जिस पर समस्त अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर अंतरिम रूप से निस्तारण हेतु बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित करते हुए मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा— 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाके ग्राम गोपाल सागर तहसील ब्यावर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 2280, 2281, 2286, 2291, 2287, 2288 के बाबत विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 14.7.2021 को पारित किया गया जिसमें भूमि की यथास्थिति आगे बैचान नहीं किए जाने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है जिस पर समस्त अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर अंतरिम रूप से निस्तारण हेतु बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित करते हुए मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। अपीलाधीन आदेश विधि के बाध्यकारी प्रावधानों व न्याय नियमों एवं नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है तथा गुणावगुण पर बहस सुनने के उपरांत भी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों विधिक बिंदुओ पर एवं बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों पर किसी भी प्रकार के कोई भी कथन उन नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों को नहीं माने जाने के बाबत नहीं करते हुए जिस प्रकार से आदेश पारित किया है वह न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विधि के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि के सहखातेदारों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें

12.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपने हिस्से को अंतरण/हस्तांतरण किए जाने से रोका जा सकता है जिससे अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने कथन किए हैं कि पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.07.2021 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा कोई अपील व निगरानी चलने योग्य नहीं होती है क्योंकि वह गुणावगुण पर पारित आदेश नहीं होता है और केस डिसाईडेड की परिभाषा में नहीं आता है जिससे भी अपीलाधीन आदेश बिना न्यायिक विवके का इस्तेमाल किए विधि विरूद्ध पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 14 उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 का है। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा अपील 29.8.2022 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

7. स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/अपीलांटस के पक्ष में है क्योंकि अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड संयुक्त खातेदार है तथा विभाजन घोषणा का वाद विचाराधीन है और सहखातेदारान के विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित नहीं की गई तो अपूर्णीय क्षति हो जाएगी और प्रार्थीगण/अपीलांटस के हितों पर कुठाराघात होगा जो कि न्याय की मंशा नहीं है जिससे अपीलाधीन आदेश की पालना ताफैसला अपील स्थगित रखा जाना न्यायसंगत है जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.2022 की पालना स्थगित रखे जाने के समुचित आदेश फरमाए जावे।

8. प्रकरण में रेस्पोडेन्टस को दिनांक 30.09.2022 को नोटिस जारी किये गये थें। दिनांक 14.10.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 06 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 06 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 13 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 13 के नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से तामील बाबत् अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 30.11.2022 को पाबंद किया गया तथा उक्त रेस्पोडेन्टस रजिस्टर्ड एडी नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.6.2023 को नोटिस अखबार साया करने के आदेश दिये गये थे। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा उक्त शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 13 के नोटिस दिनांक 16.06.2023 के दैनिक नवज्योति अखबार में साया करवाया गया, जिसकी प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। उक्त रेस्पोडेन्टस के नोटिस साधारण,रजिस्टर्ड एड़ी व अखबार साया कराने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

9. प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 निम्नानुसार है– वकुला ए फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई बहस के परिप्रेक्ष्य में उनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 से 11 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2004 पेज 65, आरआरडी 2006 पेज 761, आरआरडी 2017 पेज 270, डीएनजे 2019(2) पेज 725 तथा आरआरडी 1997 पेज 30 प्रस्तुत किए। बहस में परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्या कि ग्राम गोपालसागर पटवार हल्का कानाखेडा की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 2280, 2281, 2286, 2291, 2287, 2288 की भूमियां पर घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा को लेकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने स्वयं पित/पति की खरीदशुदा भूमि व शांतिमय कब्जा चले आने के कथन करते हुए खरीदशुदा हिस्से को स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाने के कथन किए है तथा प्रतिवदीगण द्वारा भी उक्त भूमियां जरिए बेचाननामा के क्रय किए जाने के कथन किए है। उक्त भूमियों में किसका कितना अधिकार है जो ि कमूल वाद में दस्तावेजात साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर ही गुणावगुण पर निर्णित किया जा सकता है। परंतुत इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 14.7.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को भूमि की यथास्थिति तथा आगे बेचान नहीं किए जाने हेतु पाबंद किया हुआ है एवं जिस बाबत किसी भी पक्षकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध कोई अपील कार्यवाही नहीं की है एव ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सहखातेदारान के विरूद्ध निषेधाज्ञा नहीं दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत किए हैं परंतुत इस प्रार्थना पत्र में जो अप्रार्थी बाद के बेचाननामें के आधार पर सहखातेदारान लगे हैं एवं जो जरिए पंजीकृत बेचाननामे के खरीद के आए है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण पूर्व में रहे खातेदारान के समय से हिस्से को लेकर विवाद की स्थिति होने के कथन किए है व यदि पक्षकारान को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो दीगर बेचान की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है एवं मौके पर विवाद की स्थिति व वाद बाहुल्यता को बढावा मिलेगा चूंकि मूल वाद अपने अंतिम चरण साक्ष्य में नियत है एवं उक्त विवादित स्थिति को देखते हुए उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः उभयपक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है वे ग्राम गोपालसागर पटवार हल्का कानाखेडा की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 2280, 2281, 2286, 2291, 2287, 2288 की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

10. वकील अपीलांट के आग्रह पर बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के द्वारा दायर धारा 88 आरटी एक्ट के साथ प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र पर हमारे विरूद्ध एसडीओ ब्यावर के द्वारा आदेश दिनांक 5.7.2022 को पारित किया गया है। हम विवादित भूमि के खरीददार है हमने विवादित भूमि रिकार्डेड खातेदार से वर्ष 2008 में खरीदी है। हिस्सा खरीदा सभी खसरा नम्बरों में से। रेस्पोडेंट खातेदार नहीं। मेरे हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

11. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के मुख्य तीन घटकों प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति का बिंदु एवं सुविधा का संतुलन के बिदु पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का विवेचन नहीं किया जाकर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया गया है जो उचित नहीं है। उक्त अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.7.2021 को पूर्व में दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील नहीं करने एवं भूमियों के बेचान को अपना मुख्य आधार बताया है। वकील अपीलांट के अनुसार रेस्पोडेंट खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। अनेकानेक न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जबकि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में इस बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि सहखातेदार को टीआई के माध्यम से पाबंद नहीं किया जा सकता– श्रीराम बनाम बोदूराम एवं अन्य 2004(1) आरआरटी, 365, प्रकाशकंवर एवं अन्य बनाम कैलाशचंद्र एवं अन्य 2001(2)आरआरटी 1261, छावली एवं अन्य बनाम बालकी देवी एवं अन्य 2016(1) आरआरटी 113 इन सब में यह माना गया है कि एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। सहखातेदार अपने हिस्से तक की भूमि का बेचान कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टीआई के तीन घटकों का विवेचन नहीं करते हुए प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश जारी किया जाना पाया जाता है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर बउनवानी बरजी बनाम महेन्द्र एवं अन्य प्रकरण संख्या 14/2016 आदेश दिनांक्र 5.7.2022 की पालना को स्थगित किया जाए।

12. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

12.2.24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

12.2.24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर